







परीचर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीचर, प्रतियुक्ति शिक्षा निदेशालय एवं प्रतियुक्ति शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बंध लागू किया जाता है तथा उत्तर काट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संबंध को करनी होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्सी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संसदों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीचर, उत्तर प्रदेश समन्वय द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीओआई से अनुमोदन प्राप्त कर परीचर कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संसद स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट पर संसद की समस्त सूचनाएं जैसे संसद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साधन-सज्जा, उपकरण, प्राण किया जाने वाला मुक्त, छात्रवास मुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संसद को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त आकारण उपलब्ध कराने के साथ रेगिण टैकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसद यह सुनिश्चित हो ले कि संसद में प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता, भूमि, भवन, कार्गिज, उपकरण इत्यादि का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संस्थान में प्रवेश किया जाता है और परीचर को इसकी जानकारी होती है कि संसद उपलब्ध कर प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संसद को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संसद के वार्षिक निरीक्षण दौरान यदि संसद में भूमि, भवन, छात्रवास, उपकरण एवं अन्य साधन-सज्जा ए०आई०पी०टी०आई० पी०सी०आई०-परीचर के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संसद की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसूचनासूचक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

ए०सी०- प्राविचरपरीचर समन्वयता/2021/3538-4809

दिनांक: 08/08/2021

प्रतिष्ठान:-

फ़ार्मास्यूटिकल FACULTY OF PHARMACY FUTURE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, 18 KM, NH-24, BAREILLY-LUCKNOW ROAD NEAR FARIDPUR, BAREILLY-243503

  
(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

# आज्ञापन,

## आर्थिक, प्रशासनिक शिक्षा परिषद,

### उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या - आर्थिक/परिषद सम्बद्धता/2022/10331

तारीख: दिनांक: 15/11/2022

### आज्ञापित बात:-

आर्थिक, प्रशासनिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्राचीनी काउन्सिल ऑफ इडिएस, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थी आर्सेल प्रशासनिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आर्सेल प्रशासनिक शिक्षा परिषद, उन्नाव में सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 15/11/2022 को परिषद आर्सेल में सम्बद्धता अधिति की बैठक कायम हुई। बैठक में अधिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आर्सेल नई दिल्ली को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता प्राप्त करने को सम्बद्धता विचार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता अधिति की बैठक में निर्णय के तहत के अनुसार नई दिल्ली को आर्थिक शिक्षा परिषद, 30 50 संख्याएं द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया है।

**संख्या का कोड एवं नाम : 2077-FACULTY OF PHARMACY FUTURE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES**

क्रमांक	प्राप्तकर्ता का नाम	एम्प्लॉयमेंट/प्रोविजन/परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अर्सेल 23 हेतु अर्सेल प्रवेश संख्या	
		प्रवेश संख्या	संख्या
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र एम्प्लॉयमेंट/प्रोविजन/परिषद द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करने।
- ✓ सत्र उन्नाव प्रशासनिक शिक्षा परिषद एन 1962 उन्नाव प्रशासनिक शिक्षा परिषद विद्यालयी 1992, विद्यालयी 2000, सेक्टर विद्यालयी 2016 उन्नाव-सत्र नई दिल्ली सरकारों का अनुदान करती सत्र पूर्ण निर्देश अधिति द्वारा निर्धारित शुल्क और शर्तें प्रवेश प्रदान करने हेतु 10 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो शर्तें प्रवेश प्रदान हेतु 10- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक शर्त दो शर्तें प्रदान करने (दो शर्तें प्रवेश प्रदान के अंतर्गत) हेतु 10- 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क को प्रवेश प्रदान करने के लिए प्रदान करने। प्रवेश के अंतर्गत प्रवेश/प्रवेशों से शुल्क के सम्बन्ध में सत्र-सत्र नई दिल्ली द्वारा निर्णय लिखे जाने वाले प्रशासनिक प्रशासनिक, और अनुदान कार्यवाही किए जाने आवश्यक होने। प्रवेश निर्देश अधिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है, जो प्रवेश की आवश्यकता को पूरा करेगा।
- ✓ सत्र में शुल्क प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ सत्र को सत्र-सत्र नई दिल्ली सरकारों के अनुसार निर्देश एवं सम्बद्धता शुल्क उन्नाव प्रदान करेंगे।
- ✓ सत्र उन्नाव प्रशासनिक शिक्षा परिषद/विद्यालयी/अर्सेल/प्रशासनिक/परिषद एवं निर्देश, आर्थिक शिक्षा, 2000,

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षक, 2022 तथा प्राथमिक शिक्षा परीक्षक, 2022 द्वारा बताने वाले नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यक है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुसूचक शिक्षा किया जाता है तो इस संबंध में संस्था उपरोक्तिसंग संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परीक्षक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षक, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विद्युत सदि कोर्ड का पालन किया जाता है तथा उत्तर सदि के संबंध में स. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करती होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनित काउंसिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुसूचक प्राप्त कर परीक्षक कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अक्षय पर/सीधे प्रवेश) अनुसूचि प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु संस्था-संस्था पर निर्गत सवीनयन आदेशान नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक छवि, भूमि, स्तान, सारा-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनक, साक्षात्कार सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रविक्षण हेतु उपयुक्त साधनस उपलब्ध करने के साथ टैलिंग टैकने के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करती होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ने कि संस्था में प्राथमिक/ साक्षरित परीक्षाओं को चलाने जाने हेतु निर्देशान समिति के संस्था उपलब्ध करने वाले अधिदेश, भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परीक्षाओं के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परीक्षक को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औपक स्वीय निर्देशान के टैलन सदि संस्था में भूमि, भवन, प्रायोगसाल, उपकरण एवं अन्य सारा-संख्या ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परीक्षक के सम्बन्धनस उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सदि का अनुपालन न किये जाने अथवा सदि का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में निम्नसुनक अनुसूचकसम्बन्धक कार्यवाही की जायेगी।

  
(ए०आई०सी० टी०ई०)

सचिव

ए०आई०सी०टी०ई०/परीक्षक/सम्बद्धता/2022/10332-10340

दिनांक: 15/11/2022

प्राथमिक-

प्रशासनिक/निर्देशान/FACULTY OF PHARMACY FUTURE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

  
(ए०आई०सी० टी०ई०)

सचिव